(10)

10 Rs. COURT FEE १० भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE ५ रु. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

रिव्यू - 871 - III/2002

प्रकरण क्रमांक /२००२ पुनरावलोकन

B-871-III/2002

शोभनाथ पुत्र श्री मंगाली तेली, निवासी ग्राम जियावन, तहसील देवसर, जिला सीधी, म०प्र० -- प्रार्थी

आज दि० 12/4/02 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

12 APR 2002

विरुद्ध

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री इन्द्रपतिराम, निवासी ग्राम जियावन, तहसील देवसर जिला सीधी, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थी

पुनरावलोकन विरुद्ध आदेश माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर (माननीय श्री रामसिंह जी, सदस्य राजस्व मंडल) दिनांक ५-१२-२००१ जिसकी जानकारी दिनांक ~~२४-१२-२००१~~ २४-१-२००२ को हुई अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक १११६-तीन/२००० निगरानी

- -

श्रीमान,

पुनरावलोकन का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि इस माननीय न्यायालय की आज्ञा प्रत्यक्षदर्शी भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है।

(२) यहकि प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रकरण में इस माननीय न्यायालय के समक्ष जो आपत्तियां उठाई थी तथा जिनका उल्लेख विवादित आदेश के पद क्रमांक ५ में किया गया है किन्तु सहवन इन आपत्तियों का कोई निराकरण नहीं किया गया। यह भूल ऐसी प्रत्यक्षदर्शी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है।

----२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 871–दो/2002 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–17	आवेदक अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। उनके द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के प्र0 क्र0 निग0 1119–तीन/2000 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2001 के विरूद्ध म0प्र0भू0रा0स0 की धारा 51 के अन्तर्गत यह पुर्नविलोकन प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा 1119–तीन/2000 में चुनौती सुदा आदेश दिनांक 05.12.2001 विधि के विरूद्ध एवं प्रत्यक्षदर्शी त्रुटियों से युक्त होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है । प्रश्नगत आदेश पारित करने के पूर्व न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत कार्यवाही करते हुये, प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा प्रकरण में जो आपत्तियां उठाई गई थी, उन पर भी विचार ही नहीं किया है। न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि "अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक के हक में कब्जा लिखने की जो स्वीकृति दी है वह सही तौर पर शासन के अनुदेशों के तहत है तथा तहसील न्यायालय ने भी विधि प्रक्रिया को अपनाते हुये हितबद्ध पक्षकारों को आहूत कर सुनवाई का	

अवसर देते हुये आदेश पारित किया है, जो विधिसंगत है।" यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है। अतः इस कारण जो निष्कर्ष न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा निकाले गये है, निधि के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतएव पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र स्वीकार किया जावे।

3/ अनावेदक सूचना उपरांत अंनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

4/ प्रकरण में रिकॉर्ड का अवलोकन किया, दस्तावेजों का परिसीलन किया। संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:–

1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है।

5/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है । न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2001 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य